Hindi

परिवार और घरेलू हिंसा वित्तीय सहायता कार्यक्रम

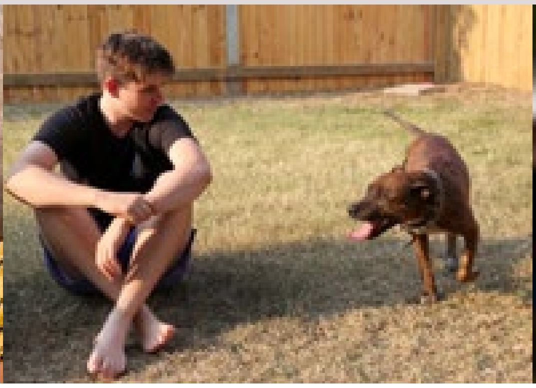

ऑस्ट्रेलिआई रेड क्रॉस द्वारा प्रांरभ किये गए परिवार और घरेलू हिंसा (FDV) वित्तीय सहायता कार्यक्रम को अब मदद और निर्देशपरक (रेफरल) प्रदायक सेवा चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया गया है।

यह कार्यक्रम अस्थायी और अनिश्चित वीज़ा स्थिति और घरेलू हिंसा का पात्र बने उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता हैं।

क्या यह कार्यक्रम मेरा समर्थन करने में सक्षम है?

यह कार्यक्रम उन लोगों का समर्थन कर सकता है जो:

- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं, तथा
- जिन्हें परिवार और घरेलू हिंसा का खतरा है या अनुभव हो रहा है, और
- जिन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

मुझे किस प्रकार का समर्थन मिल सकता है?

प्रस्तावित समर्थन में शामिल हो सकते हैं:

- वित्तीय सहायता
- अन्य संगठनों से जुड़ने के लिए सिफारिश
- केसवर्क समर्थन (३ महीनों तक)

भुगतान भरने मैं हमारी सहायता करने के लिए आपको निम्नलिखित उपलब्ध करना होगा:

- वीज़ा स्थिति जैसे आपका पासपोर्ट नंबर या इम्मीकार्ड नंबर। यदि आप अनिश्चित हैं या वर्तमान में आपके पास नहीं है, तब भी आप आवेदन करने में सक्षम रहेंगे और रेड क्रॉस आपसे आपकी स्थिति पर चर्चा करने के लिए संपर्क करेगा।
- **बैंक दस्तावेज़** जैसे बैंक विवरण(स्टेटमेंट)। यदि आपके नाम पर कोई बैंक खाता नहीं है जिसे आप सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते, तब भी आप आवेदन करने में सक्षम रहेंगे।

क्या मेरी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी?

- रेड क्रॉस आपकी व्यक्तिगत या वीज़ा जानकारी सरकार के साथ साझा नहीं करता है। रेड क्रॉस के साथ आपके द्वारा किया गया संपर्क गोपनीय होता है। हम आपके आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी को हर समय सुरक्षित रखते हैं।
- कृपया अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ कोई दस्तावेज ईमेल के माध्यम से न भेजें।

मुझे आवेदन करने में मदद चाहिए

- यदि आपको १३१ ४५० पर टीआईएस (TIS) से संपर्क बनाने में अनुवादक की सहायता चाहिए तो आप अपनी इच्छित भाषा बताएं और रेड क्रॉस १८०० ७३३ २७६ से जुड़ने के लिए कहें।
- अगर आपको आवेदन करने में सहायता चाहिए और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो रेड क्रॉस से १८०० ७३३ २७६ पर संपर्क करें, या nat_fdv_pilot@redcross.org.au पर ईमेल करें।

अधिक जानकारी के लिए देखें
www.redcross.org.au/familyviolencerelief